उत्तर प्रदेश शासन
समाज कल्याण अनुभाग-3
संख्या-76/2020/1042/26-3-2020
लखनऊ: दिनांक: 31 मार्च 2020
कार्यालय ज्ञाप

वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत संलग्नक में अंकित लेखाशीर्षक के अन्तर्गत योजनावार उनके सम्मुख अंकित मदों में **रू0-39466.41 लाख (रूपया-तीन अरब चैरान्वे करोड़ छाछठ लाख इक्तालीस हजार मात्र)** तथा लेखाशीर्षक-4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय में **प्राविधानित धनराशि रू0-8700.00 लाख** तथा नई मांग के माध्यम से स्वीकृत धनराशि रू0-5000.00 लाख अर्थात कुल धनराशि रू0-13700.00 लाख के सापेक्ष **धनराशि रू0-12878.50 लाख (एक अरब अठ्ठइस करोड़ अठ्हत्तर लाख पचास हजार मात्र)** की बचत को एतदद्वारा वित्त विभाग को समर्पित किया जाता है।
संलग्नक-यथोक्त

सतीश कुमार
अनुसचिव

संख्या-ई-4-325 सी/दस-2020 तद्दिनांक-

प्रतिलिपि महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम एवं महालेखाकार (आडिट)प्रथम उ0प्र0, इलाहाबाद को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत संलग्नक में अंकित विवरण के अनुसार लेखाशीर्षक के अन्तर्गत योजनावार उनके सम्मुख अंकित मदों में **रू0-39466.41 लाख (रूपया-तीन अरब चैरान्वे करोड़ छाछठ लाख इक्तालीस हजार मात्र)** तथा लेखाशीर्षक-4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय में **प्राविधानित धनराशि रू0-8700.00** लाख तथा नई मांग के माध्यम से स्वीकृत **धनराशि रू0-5000.00 लाख अर्थात कुल धनराशि रू0-13700.00** लाख के सापेक्ष **धनराशि रू0-12878.50 लाख (एक अरब अठ्ठइस करोड़ अठ्हत्तर लाख पचास हजार मात्र)** की बचत की धनराशि वित्त विभाग में पुर्नग्रहीत कर ली गयी है।
संलग्नक-यथोक्त।

आज्ञा से,

राम रतन
उप सचिव

पृ0सं0-76/2020/1042(1)/26-3-2020-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-
1-निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
2-वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-4
3-वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
4-गार्डफाइल।

आज्ञा से,

सतीश कुमार
अनुसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

कार्यालय ज्ञाप संख्या– /2020/1042/26–3–2020 दिनांक–31.03.2020 का संलग्नक
वर्ष 2019–20 के आय–व्ययक प्राविधान के सापेक्ष समर्पण का विवरण

अनुदान संख्या–83 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 में लेखाशीर्षक–2225–अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण लेखाशीर्षक–2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण लेखाशीर्षक–4225–पूंजीलेखा–6225–अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्गो के कल्याण के लिए कर्ज का अन्तिम व्यायधिक्य एवं बचत का विवरण।

लेखाशीर्षक/मानक मद/योजना	आय–व्ययक प्राविधान 2019–20	बचत	अभ्युक्ति
1	2	3	4
राजस्व लेखा			
2225–अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण			
01–अनुसूचित जातियों का कल्याण			
789–अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना			
01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें			
0101–अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के इंजीनियरिंग एवं कृषि स्नातक, पशु चिकित्सा, वाणिज्य आदि विद्यार्थियों के लिये बुक बैंक की स्थापना (के. 50/रा. 50 के+रा.)			
20–सहायता अनुदान–सामान्य(गैर वेतन)	0.01	0.01	मांग प्राप्त न होने के कारण
0102–स्वैच्छिक संस्थाओं/विवि0 में अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं के छात्रावास निर्माण हेतु अनुदान (के 50/रा 50 के+रा)			
20–सहायक अनुदान–सामान्य(गैर वेतन)	0.01	0.01	मांग प्राप्त न होने के कारण
0103–अनुसूचित जाति के दशमोत्तर कक्षाओं के लिये छात्रवृत्ति (के. 100/रा. –के.)			
21–छात्रवृत्तियाँ और छात्रवेतन	110000.00	0.01	
0104–अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को मेरिट उच्चीकृत योजना (100 प्रतिशत भारत सरकार सहायता)			
21–छात्रवृत्तियाँ और छात्रवेतन	70.00	70.00	मांग प्राप्त न होने के कारण
42–अन्य व्यय	50.00	50.00	मांग प्राप्त न होने के कारण
योग–04	**120.00**	**120.00**	
0105–अनुसूचित जाति के युविकों के लाभार्थ विविध प्रशिक्षण योजनायें (के. 100/रा0–के.)			
20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)	18509.00	16509.00	आवश्यकतानुसार व्यय
0108–उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम के माध्यम से संचालित स्वरोजगार योजनाओं में अनुदान (100 प्रतिशत भा0सा0)			

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)	10000.00	6574.30	शा०सं०–11/2020/20/क० नि०प्र०/26–3–2020–18(12)/2016, दिनांक 12.02.2020 द्वारा धनराशि रू0 425.00 लाख का पुनर्विनियोग लेखाशीर्षक 2225–01–789–01–23 के मानक मद–20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन) में स्वीकृत किया गया तथा प्रश्नगत योजनान्तर्गत धनराशि रू0 6574.30 लाख शासन से प्राप्त न होने के कारण बचत।
0107–किराया क्रय पद्धति के अन्तर्गत दुकान निर्माण हेतु केन्द्रीय सहायता से अंशदान (के. 100/रा0–के.)			
20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)	780.00	324.79	मांग प्राप्त न होने के कारण
0108–परिसम्पत्ति निर्माण की अन्य योजनाओं की लागत में केन्द्रीय सहायता से अंशदान (के. 100/रा.–के.)			
20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)	1500.00	185.00	आवश्यकतानुसार व्यय
0109–सचिवालय स्तरीय अधिष्ठान (के. 100/रा0–के.)			
01–वेतन	11.00	2.86	आवश्यकतानुसार व्यय
03–महंगाई भत्ता	1.65	0.07	आवश्यकतानुसार व्यय
04–यात्रा व्यय	0.40	0.40	आवश्यकतानुसार व्यय
06–अन्य भत्ते	1.00	0.81	आवश्यकतानुसार व्यय
07–मानदेय	0.20	0.20	आवश्यकतानुसार व्यय
08–कार्यालय व्यय	0.75	0.30	आवश्यकतानुसार व्यय
11–लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	0.50	0.28	आवश्यकतानुसार व्यय
12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	0.20	0.20	आवश्यकतानुसार व्यय
13–टेलीफोन पर व्यय	0.00	0.00	आवश्यकतानुसार व्यय
14–कार्यालय प्रयोगार्थ स्टाफकारों/मोटर गाडियों का क्रय	0.00	0.00	आवश्यकतानुसार व्यय
15–गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद	8.00	4.43	आवश्यकतानुसार व्यय
18–प्रकाशन	5.00	5.00	आवश्यकतानुसार व्यय
42–अन्य व्यय	2.00	0.03	आवश्यकतानुसार व्यय
45–अवकाश यात्रा व्यय	0.35	0.35	आवश्यकतानुसार व्यय
46–कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	2.00	1.07	आवश्यकतानुसार व्यय
47–कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	2.00	1.70	आवश्यकतानुसार व्यय
49–चिकित्सा व्यय	2.00	0.15	आवश्यकतानुसार व्यय
52– पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	1.00	1.00	आवश्यकतानुसार व्यय

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

55–मकान किराया भत्ता	1.00	0.12	आवश्यकतानुसार व्यय
56–नगर प्रतिकर भत्ता	0.15	0.02	आवश्यकतानुसार व्यय
58–आउटसार्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	2.00	2.00	आवश्यकतानुसार व्यय
योग–09	**41.20**	**20.99**	
0111–अत्याचारों से उत्पीड़ित अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों को सहायता (50 प्रतिशत भा0स0)(जि0यो0) (के. 50/रा. 50–के.+रा.)			
19–विज्ञापन/बिक्री एवं विख्यापन व्यय	100.00	67.88	मांग प्राप्त न होने के कारण
20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)	24860.00	2570.95	आवश्यकतानुसार व्यय
42–अन्य व्यय	40.00	36.00	मांग प्राप्त न होने के कारण
योग–11	**25000.00**	**2674.83**	
0112–उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 द्वारा संचालित योजनाओं का सर्वेक्षण, मूल्यांकन एवं अनुश्रवण शतप्रतिशत केन्द्र पोषित (के. 100/रा.0–के.)			
42–अन्य व्यय	50.00	50.00	मांग प्राप्त न होने के कारण
0113–उत्तर प्रदेश अनुजाति वित्त एवं विकास निगम लि0 द्वारा संचालित योजन के प्रचार/प्रसार/जागरूकता कार्यक्रम (के.100/रा. के.)			
42–अन्य व्यय	100.00	100.00	मांग प्राप्त न होने के कारण
0117–धोबी समाज के व्यक्तियों को ड्राई क्लीनिंग एवं लाण्डरी खोलने हेतु अनुदान (के.100/रा0–के.)			
20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)	31.60	0.00	मांग प्राप्त न होने के कारण
0118–आई0ए0एस0 पी0सी0एस0 मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण			
20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)	55.00	2.20	आवश्यकतानुसार व्यय
0119–दिल्ली स्थित संस्थानों में आई0ए0एस0/पी0सी0एस0 प्रारम्भिक परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण			
20–सहायक अनुदान–सामान्य(गैर वेतन)	100.00	18.05	शा0सं0–26/2020/609/26–3–2020, दिनांक 14.02.2020 द्वारा पुनर्विनियोग के माध्यम से लेखा शीर्षक 2235–02–789–07–00 के मानक मद–20–सहायक अनुदान–सामान्य (गैर वेतन) में धनराशि रू0 81.95 लाख स्वीकृत हुआ तथा रू0 18.05 लाख की शासन से स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण बचत।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

0120–अनुसूचित जाति के कक्षा 9 व 10 में पढ़ने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति के (के.100/रा.0–के.)			
21–छात्रवृत्तियाँ और छात्रवेतन	20500.00	6199.76	मांग प्राप्त न होने के कारण
0123–उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से संचालित बैंकिंग सुविधा प्रदाता योजना (के.100/रा.0–के.) (नई योजना)			
20–सहायक अनुदान–सामान्य(गैर वेतन)		0.00	शा0सं0 11/2020/20/क0नि0प्र0/26–3–2020–18(12)/2018, दिनांक 12.02.2020 द्वारा धनराशि रू0 425.00 लाख का पुनर्विनियोग स्वतः रोजगार योजना के लेखाशीर्षक 2225–01–789–01–06 के मानक मद–20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन) की बचतों से प्राप्त हुआ।
योग–01 :–	**186786.82**	**32778.95**	
05–छत्रपति शाहू जी महाराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ			
07–मानदेय	50.00	41.22	आवश्यकतानुसार व्यय
29–अनुरक्षण	45.00	0.00	
41–भोजन व्यय	50.00	27.45	
योग–05	**145.00**	**68.67**	
07–अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों की बीमारी के इलाज तथा प्रार्थियों की पुत्रियों की शादी हेतु आर्थिक सहायता (जि0यो0)			
20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)	13321.00	150.60	आवश्यकतानुसार व्यय
08–अनुसूचित जाति/जनजातियों के लिए राज्य सेवाओं हेतु परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र			
01–वेतन	54.51	50.77	आवश्यकतानुसार व्यय
03–मंहगाई भत्ता	8.18	7.64	आवश्यकतानुसार व्यय
04–यात्रा व्यय	0.50	0.50	आवश्यकतानुसार व्यय
05–स्थानान्तरण यात्रा व्यय	0.40	0.40	आवश्यकतानुसार व्यय
06–अन्य भत्ते	0.50	0.50	आवश्यकतानुसार व्यय
07–मानदेय	50.00	2.79	आवश्यकतानुसार व्यय

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

08–कार्यालय व्यय	1.10	0.00	आवश्यकतानुसार व्यय
09–विद्युत देय	30.00	20.74	आवश्यकतानुसार व्यय
11–लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	0.75	0.21	आवश्यकतानुसार व्यय
12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	0.75	0.00	आवश्यकतानुसार व्यय
13–टेलीफोन पर व्यय	0.70	0.50	आवश्यकतानुसार व्यय
41–भोजन व्यय	30.00	1.25	आवश्यकतानुसार व्यय
42–अन्य व्यय	20.00	17.19	आवश्यकतानुसार व्यय
43–सामग्री एवं सम्पूर्ति	5.00	0.36	आवश्यकतानुसार व्यय
47–कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	0.50	0.02	आवश्यकतानुसार व्यय
51–वर्दी	0.10	0.10	आवश्यकतानुसार व्यय
52– पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	3.29	0.95	आवश्यकतानुसार व्यय
55–मकान किराया भत्ता	1.94	1.68	आवश्यकतानुसार व्यय
56–नगर प्रतिकर भत्ता	1.00	0.97	आवश्यकतानुसार व्यय
58–आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	8.00	0.23	आवश्यकतानुसार व्यय
योग 08 :–	**217.22**	**106.80**	
09–राजकीय छात्रावासों/राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों का अनुरक्षण			
29–अनुरक्षण	**500.00**	100.00	शा0सं0–54/2020/176/26–3–2020, दिनांक 31.03.2020 द्वारा रू0 100.00 लाख की स्वीकृति विलम्ब से प्राप्त होने के कारण बिल कोषागार में पारित न हो सका, अतः बचत।
10–अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं के छात्रावासों का संचालन			
01–वेतन	132.81	83.55	आवश्यकतानुसार व्यय
03–मंहगाई भत्ता	19.92	10.99	आवश्यकतानुसार व्यय
04–यात्रा व्यय	0.35	0.29	मांग प्राप्त न होने के कारण
05–स्थानान्तरण यात्रा व्यय	0.50	0.50	मांग प्राप्त न होने के कारण
06–अन्य भत्ते	0.50	0.50	आवश्यकतानुसार व्यय
07–मानदेय	0.50	0.50	मांग प्राप्त न होने के कारण
08–कार्यालय व्यय	3.30	0.10	आवश्यकतानुसार व्यय

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

09–विद्युत देय	61.71	7.24	आवश्यकतानुसार व्यय
10–जलकर/जलप्रभार	0.63	0.00	मांग प्राप्त न होने के कारण
11–लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	0.55	0.00	मांग प्राप्त न होने के कारण
12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	1.10	0.01	आवश्यकतानुसार व्यय
16–व्यावसायिक तथा विशेष सुवाओं के लिए भुगतान	2.00	2.00	आवश्यकतानुसार व्यय
29–अनुरक्षण	11.00	0.46	आवश्यकतानुसार व्यय
42–अन्य व्यय	1.65	0.06	आवश्यकतानुसार व्यय
51–वर्दी	0.30	0.30	आवश्यकतानुसार व्यय
52– पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	7.28	5.10	आवश्यकतानुसार व्यय
55–मकान किराया भत्ता	5.00	3.24	आवश्यकतानुसार व्यय
56–नगर प्रतिकर भत्ता	1.50	1.42	आवश्यकतानुसार व्यय
58–आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	99.00	10.48	आवश्यकतानुसार व्यय
योग 10 :–	**349.60**	**126.74**	
12–राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय			
01–वेतन	1234.10	641.41	आवश्यकतानुसार व्यय
02–मजदूरी	435.00	75.11	आवश्यकतानुसार व्यय
03–मंहगाई भत्ता	185.12	88.78	आवश्यकतानुसार व्यय
04–यात्रा व्यय	4.29	2.35	आवश्यकतानुसार व्यय
05–स्थानान्तरण यात्रा व्यय	1.73	1.73	आवश्यकतानुसार व्यय
06–अन्य भत्ते	1.00	0.57	आवश्यकतानुसार व्यय
07–मानदेय	1.00	0.90	आवश्यकतानुसार व्यय
08–कार्यालय व्यय	94.00	7.43	आवश्यकतानुसार व्यय
09–विद्युत देय	500.00	82.93	आवश्यकतानुसार व्यय
10–जलकर/जलप्रभार	3.30	3.10	आवश्यकतानुसार व्यय
11–लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	13.20	1.69	आवश्यकतानुसार व्यय
12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	99.00	4.60	आवश्यकतानुसार व्यय
13–टेलीफोन पर व्यय	2.00	1.44	आवश्यकतानुसार व्यय
16–व्यावसायिक तथा विशेष सुवाओं के लिए भुगतान	2.00	0.00	मांग प्राप्त न होने के कारण
17–किराया उपशुल्क एवं स्वामित्व	1.00	1.00	मांग प्राप्त न होने के कारण

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

19–विज्ञापन/बिक्री एवं विख्यापन व्यय	10.00	1.43	आवश्यकतानुसार व्यय
29–अनुरक्षण	198.00	9.22	आवश्यकतानुसार व्यय
39–औषधि तथा रसायन	18.80	1.67	आवश्यकतानुसार व्यय
41–भोजन व्यय.	6600.00	1777.98	आवश्यकतानुसार व्यय
42–अन्य व्यय	115.72	0.00	मांग प्राप्त न होने के कारण
43–सामग्री एवं सम्पूर्ति	2860.00	29.95	आवश्यकतानुसार व्यय
45–अवकाश यात्रा व्यय	1.45	1.45	आवश्यकतानुसार व्यय
47–कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	22.00	4.15	आवश्यकतानुसार व्यय
49–चिकित्सा व्यय	7.26	4.99	आवश्यकतानुसार व्यय
51–वर्दी	5.00	5.00	आवश्यकतानुसार व्यय
52– पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	67.66	50.58	आवश्यकतानुसार व्यय
55–मकान किराया भत्ता	50.00	29.81	आवश्यकतानुसार व्यय
56–नगर प्रतिकर भत्ता	15.00	13.90	आवश्यकतानुसार व्यय
58–आउटसार्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	6600.00	258.50	आवश्यकतानुसार व्यय
योग 12 :–	**19147.63**	**3101.67**	
13–विभिन्न वर्गों की छात्रवृत्ति योजनाओं का अनुश्रवण एवं कम्प्यूटरीकरण			
42–अन्य व्यय	200.00	2.04	
58–आउटसार्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	227.00	0.09	
योग–13	**427.00**	**2.13**	आवश्यकतानुसार व्यय
योग–789	**220894.27**	**36435.56**	
योग 2225	**220894.27**	**36435.56**	
2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
02–समाज कल्याण			
789–अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना			
07–छात्र/छात्राओं को परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण			
20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)	100.00	0.01	शा0सं0–26/2020/609/26–3–2020, दिनांक 14.02.2020 द्वारा पुनर्विनियोग के माध्यम से लेखा शीर्षक 2225–01– 789–01–19–00 के मानक मद–20–सहायक अनुदान–सामान्य (गैर वेतन) में धनराशि रू0 81.95 लाख पुनर्विनियोग के माध्यम से प्राप्त हुआ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

योग–02	100.00	0.01	
60–अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
789–अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना			
03–वृद्धावस्था/किसान पेंशन(जि0यो0)			
20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)	6000.00	0.00	
04–वृद्धावस्था/किसान पेंशन(रा0सेक्टर)			
20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)	67400.00	0.00	
06–राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना			
20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)	5000.00	142.40	आवश्यकतानुसार व्यय
योग 60	78400.00	142.40	
योग 2235	78500.00	142.41	
4225–अनुसूचित जातियों/जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
01–अनुसूचित जातियों का कल्याण			
789–अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना			
01–केन्द्र प्रायोजित योजनाएं			
0101–उ0प्र0अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के अंशकों का क्रय (के0 51/रा0 49 के0+रा.)			
30–निवेश/ऋण	980.39	448.18	मांग प्राप्त न होने के कारण
0103–अनुसूचित जाति के छात्राओं के लिये छात्रावास का निर्माण (के0 100/के0+रा.)			
24–बृहद निर्माण कार्य	990.00	990.00	मांग प्राप्त न होने के कारण
0104–अनुसूचित जाति के छात्रों के लिये छात्रावास का निर्माण (के0 50/रा0 50के0+रा.)			
24–बृहद निर्माण कार्य	990.00	990.00	मांग प्राप्त न होने के कारण
0106–अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों में आधारभूत सुविधाओं का विकास (के0 100/के0+रा.)			
24–बृहत् निर्माण कार्य	3300.00	0.00	
0109–सचिवालय स्तरीय अधिष्ठान (के.100)			
14–मोटर गाड़ियों का क्रय	0.01	0.01	मांग प्राप्त न होने के कारण
योग–01 :–	**6260.40**	**2428.19**	
03–उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 में पूंजी निवेश			
30–निवेश/ऋण	80.00	3.88	मांग प्राप्त न होने के कारण
07–राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय			
24–बृहद निर्माण कार्य	6500.00	137.64	मांग प्राप्त न होने के कारण

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

योग–07	6500.00	137.64	
08–स्वैच्छिक संस्थाओं/विश्वविद्यालय/विद्यालय परिसर में अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं हेतु छात्रावास			
24–बृहद निर्माण कार्य	0.01	0.01	मांग प्राप्त न होने के कारण
09–कोचिंग केन्द्र भवन का निर्माण			
24–बृहद निर्माण कार्य	500.00	64.24	मांग प्राप्त न होने के कारण
10–अति पिछड़े अनुसूचित जाति समूहों के लिए एकीकृत विकास योजना			
1001–पेयजल			
24–बृहद निर्माण कार्य	100.00	75.75	मांग प्राप्त न होने के कारण
1002–आवास निर्माण			मांग प्राप्त न होने के कारण
24–बृहद निर्माण कार्य	100.00	100.00	मांग प्राप्त न होने के कारण
1003–सम्पर्क मार्ग का निर्माण			मांग प्राप्त न होने के कारण
24–बृहद निर्माण कार्य	2000.00	71.37	मांग प्राप्त न होने के कारण
1004–सामूदायिक विकास कन्द्र का निर्माण			
24–बृहद निर्माण कार्य	200.00	7.36	मांग प्राप्त न होने के कारण
योग–10 :–	2400.00	254.48	
योग–789	15740.41	2888.44	
योग 01 :–	15740.41	2888.44	
योग–4225	15740.41	2888.44	
6225–अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए कर्ज			
01–अनुसूचित जातियों का कल्याण			
789–अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना			
03–धोबी समाज के व्यक्तियों को ब्याज रहित ऋण			
30–निवेश/ऋण	400.40	0.00	
योग–789	400.40	0.00	
2225–अनुसूचित जातियों का कल्याण	184376.76	36435-56	
2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	78500.00	142.41	
4225–पूँजीगत परिव्यय	15740.41	2888.44	
6225–निवेश ऋण	400.40	0.00	
महायोग-2225+2235+4225+ 6225	315535.08	39466.41	
4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमो पर पूंजीगत परिव्यय			
789–अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना			
01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें			

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

03–प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (के. 100/रा.–के.)			
24–वृहद निर्माण	8700.00 5000.00 (नई मांग) कुल 13700.00	12878.50	यह योजना भारत सरकार के निर्देशानुसार वित्तीय वर्ष 2019–20 से ग्राम विकास विभाग के स्थान पर समाज कल्याण विभाग को स्थानान्तरित की गयी है। तत्क्रम मे वित्त विभाग के आदेशानुसार प्रश्नगत योजना का बजट आदि सम्बन्धी समस्त कार्यवाही अब समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जाना है। योजनान्तर्गत चयनित गांवों के सर्वे आदि कार्यों के अभी पूर्ण न होने से सम्पूर्ण धनराशि का व्यय नही किया जा सका।

31/03/2020

(सतीश कुमार)
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।